

(202)

फार्मेट सी-2

(राजनीतिक दलों के लिए वेबसाइट, समाचार-पत्रों/टी.वी. में प्रकाशन हेतु)

दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थियों के आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में घोशणा

(वर्ष 2011 की रिट याचिका (सिविल) 2011 की सं. 536 (पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडे 11 एंव अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर, 2018 के निर्णय अनुसार)

राजनैतिक दल का नाम : भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी  
निर्वाचन का नाम : विधान सभा  
राज्य/संघ भासित क्षेत्र का नाम: मध्य प्रदेश

1. क्रमांक संख्या	2. अभ्यर्थी का नाम	3. निर्वाचन क्षेत्र का नाम	4. लम्बित आपराधिक मामले		5. आपराधिक मामलों के लिए, दोषसिद्धि के विशय के संबंध में विवरण	
			न्यायालय का नाम, मामले की सं. एवं मामलों की स्थिति	संबंधित अधिनियमों की धाराएँ और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण	न्यायालय का नाम एवं आदे 1 ( गे) कि तारीख	अपराध (अपराधों) और अधिरोपित किए गए दण्ड का विवरण
01.	भंवरसिंह भोखावत	202 बदनावर, जिला - धार मध्य प्रदेश	विशेष न्यायाधी 1 एम. पी.एम.एल.ए. भोपाल प्रकरण क्रमांक SCPPS - 27 / 2018 अभियोजन साक्ष्य	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(1)डी, 13(2) एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 एवं 120बी अपेक्स बैंक की ऋण वसूली के लिये किये गए एकमुश्त समझौते में हानि पहुंचाने के संबंध में	निरंक	निरंक

राज्य सभा के निर्वाचन या विधान सभा सदस्यों द्वारा, विधान परिषद के निर्वाचन के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के मामले में, निर्वाचन क्षेत्र के नाम के स्थान पर संबंधित निर्वाचन का उल्लेख करें ।

टिपणी : (i) उपर्युक्त सूचना प्रत्येक राज्य/संघ भासित क्षेत्र के लिए राज्य-वार प्रकाशित की जाएगी ।

(ii) समाचार-पत्रों में विशयवस्तु कम से कम 12 के फोन्ट आकार में प्रकाशित की जानी चाहिए ।